Inspira-Journal of Commerce, Economics & Computer Science (JCECS)
ISSN : 2395-7069 General Impact Factor : 2.4668, Volume 04, No. 03, July-September, 2018, pp. 134-138

cSad vkQ bf.M;k dk laxBu ,oa izcU/ku ,d v/;;u

डॉ. मोरन सिंह*

बैंक ऑफ इण्डिया का संगठन एवं प्रबन्ध एक आकर्षक, विश्वसनीय एवं कुशल अनुभवी प्रबन्धन द्वारा ग्राहकों को सन्तुष्ट करते हुये लाभ कमाना होता है ताकि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सके। बैंक ऑफ इण्डिया का संगठन एवं प्रबन्ध योग्य, अनुभवी लोगों द्वारा होता है क्योंकि बैंक में जितने लोग संगठन या प्रबन्ध में शामिल होते हैं वह सभी उच्च व्यक्तित्व वाले एवं दूरदर्शी होते हैं। किसी भी संस्था को चाहिये कि संगठन में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाये जो उसके योग्य हों। आजकल तकनीकी यंत्रों द्वारा संस्था की अनेक ऐसी कमियों को पूरा किया जा सकता है जो कि पूर्व में सम्भव नहीं थीं। आज का दौर इतना आगे बढ चुका है जिसमें कुशल एवं अनुभवी लोगों का ही प्रतिफल है।

बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना समय–समय पर यथा संशोधित बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण अधिनियम 1970) के अधीन की गयी है। बैंक के कारोबार और कार्य का सामान्य अधीक्षण, निदेशन और प्रबन्धन का कार्य निदेशक बोर्ड के पास रहता है जिसकी अध्यक्षता, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा की जाती है। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक और कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित रहे हैं।

funs'kd e.My dh rkfydk

funs'kd dk uke	funs'kd dk izdkj
श्री टी0एस0 नारायणसामी	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
श्री रामबाल चन्द्रन	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
श्री के0आर0 कामत	कार्यपालक निदेशक
श्री ए0डी0 परूलकर	कार्यपालक निदेशक
श्री तरूण बजाज	केन्द्रीय सरकार के नामिती
श्री सुरेश कुमार	केन्द्रीय सरकार के नामिती
श्री ए0बी0 सरदेसाई	भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती
श्री कमल किशोर गुप्ता	अंशकालिक अशासकीय निदेशक

* डा. जैड.एच. (पी.जी.) कॉलेज आगरा रोड, एटा

डा0 श्रीमती प्रभा के0तावियाड	अंशकालिक अशासकीय निदेशक
डा0 श्रीमती शांता के0चावडा	अंशकालिक अशासकीय निदेशक
डा0 बी0के0 कौजालगी	शेयरधारक निदेशक
श्री एम0एन0 गोपीनाथ	शेयरधारक निदेशक
श्री वी0ईश्वरन	गैर–कामगार कर्मचारी निदेशक
श्री रामेश्वर प्रसाद	कामगार कर्मचारी निदेशक
श्री के0एस0संपत	अंशकालिक अशासकीय निदेशक
श्री इन्द्रेश विक्रम सिंह	अंशकालिक अशासकीय निदेशक

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक और कार्यपालक निदेशक को छोड़कर मण्डल में शेष सभी निदेशक गैर–कार्यपालक निदेशक हैं। केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अंशकालिक अशासकीय निदेशकों के अलावा केन्द्रीय सरकार और शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक सूचीकरण करार के खण्ड–49 के अर्थ के अन्तर्गत स्वतंत्र निदेशक हैं। कोई भी निदेशक अन्य किसी निदेशक का सम्बन्धी नहीं है।

ckM cBdk dk lpkyu

बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा विभिन्न योजनाओं को बनाने एवं उनके क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2004–05 से वित्तीय वर्ष 2007–08 तक विभिन्न बैठकों का आयोजन किया गया जिन्हें वर्षवार निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

foRrh; o"k	cBdk dh l[;k
2004–05	13
2005–06	11
2006–07	04
2007–08	12

ckM cBdk d fun'kdk dh mifLFkfr

वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान विभिन्न निदेशकों की उपस्थिति एवं उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

fun'kdk d uke	mifLFkfr dk vfHky[k	dk;dky d nkjku vk;kftr cBd
श्री एम0बाल चन्द्रन	01	01
श्री टी0एस0नारायणसामी	10	10
श्री के0आर0कामत	12	12
श्री ए0डी0परूलकर	09	10
श्री सुरेश कुमार	03	03
श्री तरूण बजाज	06	09
श्री ए0बी0सरदेसाई	09	12
श्री कमल किशोर गुप्ता	10	12
डा0 प्रभा0के0ताबियाड	11	12

डा0 शांता के0चावडा	11	12
डा0 वी0वी0कौजालगी	11	12
श्री एम0एन0गोपीनाथ	09	12
श्री वी0ईश्वरन	11	12
श्री रामेश्वर प्रसाद	12	12
श्री के0एस0सम्पत	02	02
श्री इन्द्रेश विक्रम सिंह	02	02

ckMZ dh izcU/ku lfefr

बोर्ड की प्रबन्धन समिति का गठन बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण अधिनियम 1970) के प्रावधानों के अनुसार किया गया है और वह वित्तीय स्वीकृतियों, समझौतों/बट्टा खाता प्रस्तावों और वाद/अपील दायर करने आदि के सम्बन्ध में बोर्ड को प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करती है। प्रबन्धन समिति 8 सदस्यों से बनी है जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबन्धन निदेशक, कार्यपालक निदेशक, सनदी लेखाकार निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती और 3 अशासकीय गैर–कार्यपालक निदेशक शामिल हैं। बोर्ड की प्रबन्धन समिति ने वित्तीय वर्ष 2004–05 से वित्तीय वर्ष 2007–08 तक जितनी बैठकों का आयोजन एवं संचालन किया उसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

foRrh; o"kZ	vk;ksftr ,oa lapkfyr cSBdksa dh la[;k
2004–05	21
2005–06	21
2006–07	21
2007–08	20

ckMZ dh ys[kk ijh{kk lfefr

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसरण में निदेशक मण्डल द्वारा की जाती है। इस लेखा परीक्षा समिति से यह अपेक्षित है कि वह निर्देश दे तथा बैंक के सम्पूर्ण लेखा परीक्षा कार्य के परिचालन का पर्यवेक्षण भी करे।

लेखा परीक्षा समिति में 5 सदस्य हैं अर्थात् कार्यपालक निदेशक, केन्द्रीय सरकार के नामिती, भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती और एक अशासकीय गैर कार्यपालक निदेशक और एक शेयरधारक निदेशक इनमें से एक सदस्य सनदी लेखाकार अवश्य होना चाहिए। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति वित्तीय वर्ष 2004–05 से वित्तीय वर्ष 2007–08 तक जितनी बैठकों का आयोजन किया है उसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

foRrh; o"kZ	vk;ksftr cSBdksa dh la[;k
2004–05	11
2005–06	08
2006–07	08
2007–08	08

fun'kdk dk ikfjJfed

बैंक, बैंककारी विनिमय अधिनियम 1949 बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण अधिनियम 1970) के अन्तर्गत नियंत्रित है। सेवी ने यह स्पष्ट किया है कि सूचीकरण करार की अन्य संविधि खण्ड–49 के अन्तर्गत निगमित निकाय (जैसे निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक वित्तीय संस्थाएं, बीमा कम्पनियॉ आदि) पर उस सीमा तक ही लागू होगा कि वे सम्बन्धित नियंत्रित प्राधिकारियों द्वारा जारी उनके तत्सम्बन्धी संविधि तथा दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंक अशासकीय निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा अन्य किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता है जो कि निम्नलिखित है।

बोर्ड बैठक के लिए	रू0 5000/– प्रति बैठक
समिति बैठक के लिए	रू0 2500/– प्रति बैठक

v'k/kkjdk@fuos'kdk dh f'kdk;r fuokj.k lfefr

सूचीकरण करार के खण्ड–49 में कार्पोरेट नियंत्रण पर सेवी के दिशानिर्देशों के अनुपालन में शेयरों के अन्तरण, तुलन पत्र की अप्राप्ति, लाभांश की अप्राप्ति इत्यादि से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण के लिए अंशधारकों/निवेशकों की एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान निवेशकों से अब तक प्राप्त सभी शिकायतों/संदर्भों का उत्तर दिया गया, निस्तारण किया गया। निवेशकों की शिकायत सम्बन्धी जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद प्रायः 7 (सात) दिनों के अन्दर हल कर दी जाती है। इस समिति में कार्यपालक निदेशक और 2 (दो) स्वतंत्र निदेशक हैं। बैंक के अंशधारक निदेशक श्री एम0एन0गोपीनाथ इस समिति के अध्यक्ष हैं। श्री राजीव भाटिया कम्पनी सचिव व बैंक के अनुपालक अधिकारी हैं। वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान 4 बैठकें आयोजित की गयीं।

fu"d"k

उपरोक्त तथ्यों का भलीभॉति चिन्तन एवं मनन करने से यह स्पष्ट होता है कि बैंक ऑफ इण्डिया एक ऐसी संस्था है जिसमें निवेशकों को अति महत्वपूर्ण स्थान देते हुये उन्हें संस्था के प्रति अटूट विश्वास की भावना जागृत कर देश के विभिन्न शहरों में अनेक शाखाएं खोली गयी हैं। इसमें वित्तीय वर्ष 2004–05 से वित्तीय वर्ष 2007–08 तक की अधिकतर समितियों एवं उनके सदस्यों का भलीभॉति विवरण दिया गया है। किस समिति की बैठक कब हुई तथा कितनी बैठकें आयोजित की गयीं जिनमें किन–किन सदस्यों ने कितनी उपस्थिति दर्ज करायी आदि का पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि कौन निदेशक है और वह किस प्रकार के पद पर है। बैंक ऑफ इण्डिया ने अपने ग्राहकों की शिकायतों का निराकरण करने के लिये एक समिति का गठन भी किया जिसका नाम शिकायत निवारण समिति रखा गया। अतः यह कहा जा सकता है कि बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 से वित्तीय वर्ष 2007–08 तक सरकार का सहयोग करके व सहयोग प्राप्त करके एक नई दिशा व दशा को प्राप्त कर लिया है। वित्तीय वर्ष के दौरान निवेशकों से प्राप्त सभी शिकायतों/संदर्भों का उत्तर दिया गया तथा उन्हें भली प्रकार सन्तुष्ट कर निपटाया गया। सूचीकरण करार के खण्ड–49 में कार्पोरेट नियंत्रण पर सेवी के दिशा निर्देशों के अनुपालन में शेयरों के

अन्तरण, तुलन पत्र की अप्राप्ति, लाभांश की अप्राप्ति इत्यादि से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण के लिए भी व्यवस्था की गयी।

lUnHk xUFkkoyh

- बैंकिंग रेगूलेशन एक्ट 1949 संधोधित
- बैंक ऑफ इण्डिया के प्रकाशन
- एम0नरसिंहम कमेटी रिपोर्ट ऑफ फाइनेन्शियल सिस्टम इन इण्डिया
- फाइनेन्शियल एक्सप्रेस
- इकानोमिक टाइम्स ऑफ इण्डिया
- दैनिक हिन्दुस्तान
- आर0एन0अग्रवाल– बैंकिग सिस्टम इन इण्डिया
- बैंक ऑफ इण्डिया की एटा शाखा का अवलोकन

❑❑❑